एकल पीठ दां0 प्रकीर्ण द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या2182/2008

जावेद बनाम राजस्थान राज्य।

दिनांक30/4/2008

माननीय न्यायाधिपति श्री चतरा राम

श्री एन.ए नकवी अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी उप0

श्री जिनेन्द्र जैन लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया और केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से दलील दी गयी कि हालांकि यह द्वितीय जमानत का आवेदन पत्र है मगर प्रथम जमानत का आवेदन पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31/7/2007 के अनुसार खारिज करते हुए, मजरुबान बाबी उर्फ इरशाद व खलील अहमद के बयान होने के पश्चात पुन: जमानत का प्रार्थना पत्र पेश करने की इजाजत दी गयी थी और खलील अहमद बतौर पी.डब्लू.1 तथा बाबी उर्फ इरशाद बतौर पी.डब्लू.2 परीक्षित किये जा चुके हैं और साक्षी खलील अहमद के अनुसार जावेद और फखरु के द्वारा चाकू से चोट जांघ व कूल्हों पर मारना बताया है जबकि सह-अभियुक्त फखरुददीन उर्फ फखरु की ज़मानत का आवेदन पत्र इस न्यायालय की समन्वय पीठ के आदेश दिनांक 11/3/2008 के अनुसार स्वीकार हो जाने और प्रार्थी-अभियुक्त का मामला उससे भिन्न नहीं होने से जमानत पर आजाद किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

उभय पक्ष की उक्त दलीलों को सुना जाकर, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हुए, अभियुक्त-प्रार्थी को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत पर रिहा

किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी जावेद, तीस हजार रुपये का स्वयं का बन्ध पत्र और पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये के दो प्रतिभूति पत्र, विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या68/2007 पुलिस थाना भीमगंज मण्डी,कोटा से संबंधित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(चतरा राम)
न्यायाधिपति

/राम/